न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री, कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या – 21/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ठीरडाराम पुत्र थानाराम जाति मेघवाल निवासी रेपडावास तहसील सोजत		1. हिरकी पत्नी मांगीलाल 2. राजुराम पुत्र मांगीलाल 3. नृसिंह पुत्र मांगीलाल 4. गुडी पुत्री मांगीलाल 5. सन्तु पुत्री मांगीलाल, 6. पिंकी पुत्री मांगीलाल 7. सुशीला पुत्री मांगीलाल जातियान 8. सुखिया उर्फ सुखाराम पुत्र नेतीराम 9. रिकीया उर्फ रकाराम पुत्र श्री नेतीराम मेघवाल निवासीगण रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली 10. तहसीलदार(भूमि धारक) सोजत जिलापाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादी तहसीलदार सोजत उप0

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक – 22/08/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रेपडावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1, 89, 498, 544, 545, 567, 568, 759 कुल रकबा 6.6500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा वादी के निवेदन/ ईश्तदुआ युक्ति युक्त होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2022 को हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर वादस्थ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /118 दिनांक 16.01.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एव प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 16.01.2024 अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानो में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

– आदेश –

अत माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 16.01.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रेपडावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1, 89, 498, 544, 545, 567, 568, 759 कुल रकबा 6.6500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एव डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0स0	रकबा	किस्म	लगान
1	ठीडाराम पुत्र थानाराम कौम मेगवाल1/2 सा0दे0 खातेदार	1 89 498 544 545 568	0.5300 1.0700 0.3650 0.0300 0.8200 0.5000	बा.अ. गै.मु. बैरा चा. सोजत बजंड	
		06	3.3150		
2.	हिरकी पत्नी मांगीलाल राजुराम, नृसिंह पुत्र मांगीलाल गुडी, सन्तु, पिंकी, सुशीला पुत्रीया मांगीलाल सुखिया, रिकीया पिता नेतीराम 1/2 कौम मेघवाल निवासीगण रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली	1/1 89/1 498/1 545/1 567/1 568/1	0.5300 1.0700 0.3650 0.8500 0.0200 0.4800	बा.अ. बा.अ. बा.अ. चा. सोजत बंजड गेमु. बेरा	
		06	3.3150		

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 22/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

1

डिकी बमुकददमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. टीकाराम पुत्र थानाराम जाति मेघवाल निवासी रेपडावास तहसील सोजत		1. हिरकी पत्नी मांगीलाल 2. राजुराम पुत्र मांगीलाल 3. नृसिंह पुत्र मांगीलाल 4. गुडी पुत्री मांगीलाल 5. सन्तु पुत्री मांगीलाल, 6. पिंकी पुत्री मांगीलाल 7. सुशीला पुत्री मांगीलाल जातियान 8. सुखिया उर्फ सुखाराम पुत्र नेतीराम 9. रिकीया उर्फ रकाराम पुत्र श्री नेतीराम मेघवाल निवासीगण रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली 10. तहसीलदार(भूमि धारक) सोजत जिलापाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद 21/2018

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :-

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी तथा तहसीलदार, सोजत प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रेपडावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1, 89, 498, 544, 545, 567, 568, 759 कुल रकबा 6.6500 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। कृषि भूमि का बंटवाडा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	टीकाराम पुत्र थानाराम कौम मेगवाल1/2 सा0दे0 खातेदार	1 89 498 544 545 568	0.5300 1.0700 0.3650 0.0300 0.8200 0.5000	बा.अ. गै.मु बेरा चा. सोजत बजंड	
		06	3.3150		
2.	हिरकी पत्नी मांगीलाल राजुराम, नृसिंह पुत्र मांगीलाल गुडी, सन्तु, पिंकी, सुशीला पुत्रीया मांगीलाल सुखिया, रिकीया पिता नेतीराम 1/2 कौम मेघवाल निवासीगण रेपडावास तहसील सोजत जिला पाली	1/1 89/1 498/1 545/1 567/1 568/1	0.5300 1.0700 0.3650 0.8500 0.0200 0.4800	बा.अ. बा.अ. बा.अ. चा. सोजत बंजड गेमु. बेरा	
		06	3.3150		

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रतिवादी वादी की भूमि में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत –

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/08/2024 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)